



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शनिवार, 23 मई, 2026

ज्येष्ठ 2, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 136/79-वि-1-2026-2-क-14-2026

लखनऊ, 23 मई, 2026

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2026), जिससे राजस्व अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2026)

[भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 8 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 8
सन् 2012 की
धारा 80 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में धारा 80 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः—

“परन्तु यह कि यदि भूमि या उसका कोई भाग, जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जाती है, किसी विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आता है, और यदि ऐसी भूमि के सम्बंध में यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986, या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा, विकास अनुज्ञा या अभिन्यास योजना का अनुमोदन स्वीकृत किया गया हो, ऐसी स्वीकृति इस अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा मानी जायेगी और ऐसी जाँच जैसा कि विहित किया जाय, के उपरान्त इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से पन्द्रह दिवस की अवधि के भीतर अभिलिखित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के समय कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।”

निरसन और
व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2026) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अध्यादेश के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह—II,
प्रमुख सचिव।

No. 136(2)/LXXIX-V-1-2026-2-ka-14-2026

Dated Lucknow, May 23, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajaswa Sanhita (Chaturth Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 14 of 2026) promulgated by the Governor. Rajaswa Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (FOURTH
AMENDMENT) ORDINANCE, 2026

(U.P. ORDINANCE NO. 14 OF 2026)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-seventh Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Revenue code, 2006.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

- | | |
|---|---|
| 1.(1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Fourth Amendment) Ordinance, 2026. | Short title and commencement |
| (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 8 th day of April, 2026. | |
| 2. In the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, in sub-section (8) of Section 80, the following provisos shall be <i>inserted</i> , namely:- | Amendment of Section 80 of U.P. Act no. 8 of 2012 |
| “ Provided that if the land, or any part thereof, for which a declaration is sought under this section, falls within the notified area of a Development Authority, an Industrial Development Authority, a Regulated Area, a Special Area Development Authority, or the Uttar Pradesh Housing and Development Board; and if, in respect of such land, as the case may be, a building permission, development permission, or approval of a layout plan has been granted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976, the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958, the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986, or the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, such grant shall be deemed to constitute a declaration under sub-section (2) of Section 80 of this Act and following such inquiry as may be prescribed, an entry to this effect shall compulsorily be recorded in the revenue records within a period of fifteen days: | |
| Provided further that no fee shall be charged at the time of the declaration under sub-section (2) of Section 80 of this Act.”. | |
| 3.(1) The Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2026(U.P. Ordinance no.7 of 2026) is hereby repealed. | Repeal and savings |
| (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance as if the provisions of this Ordinance were in force at all material times. | |

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.